रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2016/फाल्गुन 13, 1937
No. 557] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2016/ PHALGUNA 13, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2016

का.आ. 646 (अ). –केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का लोक हित में प्रयोग करते हुए, लाइनर पोत परिवहन उद्योग के जलयान हिस्सेदारी करार को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए किसी भी भारतीय पत्तन से किसी राष्ट्रीयता के सभी राष्ट्रों के प्रचालित पोतों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से छूट प्रदान करती है, परंतु ऐसे करारों के अंतर्गत ऐसे सम्मिलित व्यवहार नहीं होंगे जिसमें कीमत नियत करना, क्षमता या विक्रय को सीमित करना और बाजारों या ग्राहकों का आबंटन अंतर्वलित है ।

उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान, भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय, पोत परिवहन के महानिदेशक, ऐसे करारों को मानीटर करेंगे और भारत में ऐसे पोतों के प्रचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों, विद्यमान जलयान हिस्सेदारी करारों या किए जाने वाले जलयान हिस्सेदारी करारों की प्रतियों को, उक्त अवधि के दौरान प्रयोजनीयता के साथ अन्य सुसंगत दस्तावेजों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसे करारों पर हस्ताक्षर किए जाने के दस दिन के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, महानिदेशक, पोत परिवहन को फाइल करेंगे ।

[फा. सं. 5 /20/2011 –सीएस]

मनोज कुमार,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2016

S. O. 646 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the Vessels Sharing Agreements of Liner Shipping Industry from the provisions of section 3 of the said Act, for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of carriers of all nationalities operating ships of any nationality from any Indian port provided such agreements do not include concerted practices involving fixing of prices, limitation of capacity or sales and the allocation of markets or customers.

During the said period of one year, the Director General, Shipping, Ministry of Shipping, Government of India shall monitor such agreements and for which, the persons responsible for operations of such ships in India shall file copies of existing Vessels Sharing Agreements or Vessels Sharing Agreements to be entered into with applicability during the said period alongwith other relevant documents within thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or within ten days of signing of such agreements, whichever is later, with the Director General, Shipping.

[F.No.5/20/2011-CS]
MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.